

**प्रेस नोट**  
**जनपद कानपुर देहात**

**दिनांक:-18.102021.**

**थाना सट्टी पुलिस द्वारा गौवध अधिनियम के अभियोग मे वाछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक काके मार्गदर्शन में 0दे0 अपराधएवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने, वाछित/वारन्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर के नेतृत्व मे थानाध्यक्ष सट्टी मय हमराह उ0नि0 श्री अभिषेक यादव व कर्मचारी गणों द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वाछित अपराधी व रोकथाम जुर्म जरायम मे कस्बा शाहजहांपुर में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर गौवध अधिनियम के अभियोग मु0अ0सं0 101/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम मे वाछित अभियुक्त शमशाद पुत्र याकूब निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात को सट्टी कमलपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय भेजा गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. शमशाद पुत्र याकूब निवासी ग्राम सट्टी जनपद कानपुर देहात

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-**

- 1- मु0अ0स0 06/2006 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 थाना सट्टी जनपद का0दे0
- 2-मु0अ0स0 121/2008 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 थाना सट्टी जनपद का0दे0।
- 3-मु0अ0स0 228/13 धारा 3/8 गो0नि0 अधि0 थाना सट्टी जनपद का0दे0
- 4-मु0अ0स0 07/2021 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 थाना सट्टी जनपद का0दे0
- 5-मु0अ0स0 76/1994 धारा 452/323/504/506 भादवि0 थाना सट्टी जनपद का0दे0
- 6-मु0अ0स0 30/2010 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 थाना सट्टी जनपद का0दे0
- 7-मु0अ0स0 101/2021 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 थाना सट्टी जनपद का0दे0

**गिरफ्तार टीम:-**

1. श्री महेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष सट्टी जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार यादव थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।
3. का0 185 नरेन्द्र सिंह थाना सट्टी जनपद का0दे0
4. का0 953 अर्जुन मलिक थाना सट्टी जनपद का0दे0
5. का0 619 जोनी कुमार थाना सट्टी जनपद का0दे0